झारखण्ड उच्च न्यायालय, रांची

आपराधिक विविध याचिका सं० - 1975/2023

विकाश सुमन, उम्र लगभग 38 वर्ष, पिता - सच्चिदा प्रसाद साह, निवासी - कालीस्थान परबत्ती, भागलपुर शहर, डाकघर+थाना - भागलपुर, जिला - भागलपुर (बिहार)

..... **याचिकाकर्ता**

-बनाम-

1. झारखंड राज्य

2. नैन्सी कुमारी, पत्नी विकास कुमार और पिता जय कुमार गुप्ता, वर्तमान में हाउस नंबर: 72, शिव ज्योति ले आउट, हरलूर, सरजूपुर रोड, डाकघर - एचएसआर, थाना - हरलपुर, जिला- बैंगलोर (कर्नाटक) में रहते हैं ..... **विपक्ष**

याचिकाकर्ता की ओर से : श्री आशिम कुमार साहनी, अधिवक्ता

राज्य की ओर से : सुश्री रूबी पांडे, अपर पी.पी.

विपक्षी संख्या 2 की ओर से : श्री गौतम कुमार पांडे, अधिवक्ता

<u>उपस्थित</u>

माननीय न्यायमूर्ति अनिल कुमार चौधरी

न्यायालय द्वारा:- पक्षों को सुना गया।

2. यह आपराधिक विविध याचिका दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का आह्वान करते हुए दायर की गई है, जिसमें विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट- III, रांची द्वारा शिकायत मामला संख्या 8716/2022 में पारित दिनांक 26.04.2023 के आदेश सहित संपूर्ण आपराधिक अभियोजन को रद्द करने की प्रार्थना की गई है, जिसके तहत विद्वान मजिस्ट्रेट ने भारतीय दंड संहिता की धारा 498-ए के तहत दंडनीय अपराध का संज्ञान लिया है।

3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता तथा विपक्षी पक्ष संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता संयुक्त रूप से इस न्यायालय का ध्यान अन्तरवर्ती आवेदन संख्या 10754/2023 की ओर आकर्षित करते हैं, जिसका समर्थन याचिकाकर्ता तथा विपक्षी

पक्ष संख्या 2/शिकायतकर्ता/सूचनाकर्ता के अलग-अलग हलफनामों द्वारा किया गया है, जिसमें उल्लेख किया गया है कि दिनांक 18.10.2023 को दोनों पक्षों के बीच मामला सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझा लिया गया है तथा इसके परिणामस्वरूप याचिकाकर्ता को अग्रिम जमानत प्रदान की गई है। इसके बाद संयुक्त रूप से प्रस्तुत किया गया कि पक्षकारों के बीच यह सहमति हुई है कि वे पारिवारिक न्यायालय, रांची के समक्ष आपसी सहमति से अपने विवाह को समाप्त करने के लिए याचिका दायर करेंगे और यद्यपि इसका उल्लेख तत्काल अंतरिम आवेदन में नहीं किया गया है, लेकिन याचिकाकर्ता के विद्वान वकील और विपक्षी पक्ष संख्या 2 के विद्वान वकील द्वारा संयुक्त रूप से प्रस्तुत किया गया है कि 02.12.2023 को आपसी सहमति से पक्षों के बीच विवाह को समाप्त करने के लिए याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि पक्षों के बीच विवाद मूल रूप से एक निजी विवाद है और इसमें कोई सार्वजनिक नीति शामिल नहीं है। याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने आगे प्रस्तुत किया कि पक्षों के बीच समझौते के मद्देनजर, इस आपराधिक कार्यवाही को जारी रखना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा क्योंकि समझौते के मद्देनजर याचिकाकर्ता की सजा की संभावना दूर और धूमिल है। अतः यह निवेदन किया जाता है कि शिकायत वाद संख्या 8716/2022 में विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट-III, रांची द्वारा पारित दिनांक 26.04.2023 के आदेश सहित सम्पूर्ण आपराधिक अभियोजन, जो अब विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट-III, रांची की अदालत में लंबित है, को निरस्त कर दिया जाए।

4. राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अपर लोक अभियोजक ने प्रस्तुत किया कि पक्षों के बीच समझौता होने के मद्देनजर, राज्य को शिकायत मामला संख्या 8716/2022 में विद्वान न्यायिक दंडाधिकारी-III, रांची द्वारा पारित दिनांक 26.04.2023 के आदेश सहित संपूर्ण आपराधिक अभियोजन को रद्द करने पर कोई आपत्ति नहीं है, जो अब विद्वान न्यायिक दंडाधिकारी-III, रांची की अदालत में लंबित है।

5. बार में किए गए प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों को सुनने और रिकॉर्ड में उपलब्ध सामग्रियों को ध्यान से देखने के बाद, यहाँ यह उल्लेख करना उचित है कि भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय को परबतभाई आहिर @ परबतभाई भीमसिंहभाई करमुर और अन्य बनाम गुजरात राज्य और अन्य (2017) 9 एससीसी 641 में रिपोर्ट किए गए मामले में, पार्टियों के बीच समझौते के आधार पर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा

482 के तहत उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र पर विचार करने का अवसर मिला था और पैराग्राफ संख्या 11 में निम्नानुसार माना गया है:-

> **"11.** धारा 482 में एक प्रमुख प्रावधान है। यह क़ानून उच्च न्यायालय को एक उच्च न्यायालय के रूप में ऐसे आदेश देने की अंतर्निहित शक्ति से बचाता है जो (i) किसी भी न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए; या (ii) अन्यथा न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए आवश्यक हैं। ज्ञान सिंह [ज्ञान सिंह बनाम पंजाब राज्य, (2012) 10 एससीसी 303: (2012) 4 एससीसी (सिविल) 1188: (2013) 1 एससीसी (क्रि) 160: (2012) 2 एससीसी (एल एंड एस) 988] में इस न्यायालय के तीन विद्वान न्यायाधीशों की पीठ ने इस विषय पर मिसाल के तौर पर उल्लेख किया और मार्गदर्शक सिद्धांत निर्धारित किए, जिन पर उच्च न्यायालय को यह निर्धारित करने में विचार करना चाहिए कि अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में एफआईआर या शिकायत को रद्द किया जाए या नहीं। उच्च न्यायालय को जिन बातों पर विचार करना चाहिए वे हैं: (एससीसी पृ. 342-43, पैरा 61)
>
> > **"61**. ... अपने निहित अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में किसी आपराधिक कार्यवाही या एफआईआर या शिकायत को रद्द करने में उच्च न्यायालय की शक्ति, कोड की धारा 320 के तहत अपराधों को कम करने के लिए आपराधिक न्यायालय को दी गई शक्ति से अलग और भिन्न है। निहित शक्ति व्यापक है और इसमें कोई वैधानिक सीमा नहीं है, लेकिन इसका प्रयोग ऐसी शक्ति में निहित दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाना चाहिए, जैसे: (i) न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करना, या (ii) किसी भी न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकना। आपराधिक कार्यवाही या शिकायत या एफआईआर को रद्द करने की शक्ति का प्रयोग किन मामलों में किया जा सकता है, जहां अपराधी और पीड़ित ने अपने विवाद को सुलझा लिया है, यह प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा और कोई श्रेणी निर्धारित नहीं की जा सकती है। हालांकि, ऐसी शक्ति का प्रयोग करने से पहले, उच्च न्यायालय को अपराध की प्रकृति और गंभीरता पर उचित ध्यान देना चाहिए। मानसिक विकृति के जघन्य और गंभीर अपराध या हत्या, बलात्कार, डकैती आदि जैसे अपराधों को उचित रूप से रद्द नहीं किया जा सकता, भले ही पीड़ित या पीड़ित के परिवार और अपराधी ने विवाद सुलझा लिया हो। ऐसे अपराध निजी प्रकृति के नहीं होते और समाज पर गंभीर प्रभाव डालते हैं। इसी प्रकार, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम जैसे विशेष कानूनों के अंतर्गत अपराधों या उस क्षमता में काम करते हुए लोक सेवकों द्वारा किए गए अपराधों आदि के संबंध में पीड़ित और अपराधी के बीच कोई समझौता; ऐसे अपराधों से संबंधित आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए कोई आधार

> प्रदान नहीं कर सकता है। लेकिन आपराधिक मामले जिनमें मुख्य रूप से सिविल फ्लेवर होता है, रद्द करने के प्रयोजनों के लिए एक अलग आधार पर खड़े होते हैं, विशेष रूप से वाणिज्यिक, वित्तीय, व्यापारिक, सिविल, साझेदारी या इस तरह के लेन-देन से उत्पन्न अपराध या दहेज आदि से संबंधित विवाह से उत्पन्न अपराध या पारिवारिक विवाद जहां गलती मूल रूप से निजी या व्यक्तिगत प्रकृति की होती है और पक्षों ने अपने पूरे विवाद को सुलझा लिया है। इस श्रेणी के मामलों में, उच्च न्यायालय आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर सकता है यदि उसके विचार में, अपराधी और पीड़ित के बीच समझौते के कारण, दोषसिद्धि की संभावना बहुत कम है और आपराधिक मामले को जारी रखने से अभियुक्त को बहुत अधिक उत्पीड़न और पूर्वाग्रह का सामना करना पड़ेगा और पीड़ित के साथ पूर्ण समझौता और समझौते के बावजूद आपराधिक मामले को रद्द न करने से उसके साथ अत्यधिक अन्याय होगा। दूसरे शब्दों में, उच्च न्यायालय को यह विचार करना चाहिए कि क्या आपराधिक कार्यवाही को जारी रखना न्याय के हित के विरुद्ध या अनुचित होगा या पीड़ित और अपराधी के बीच समझौते और समझौते के बावजूद आपराधिक कार्यवाही को जारी रखना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा और क्या न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए, यह उचित है कि आपराधिक मामले को समाप्त कर दिया जाए और यदि उपरोक्त प्रश्न(ओं) का उत्तर सकारात्मक है, तो उच्च न्यायालय आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के अपने अधिकार क्षेत्र में होगा। (जोर दिया गया)"

6. अभिलेखों के अवलोकन से पता चलता है कि इस मामले में शामिल अपराध न तो जघन्य अपराध हैं और न ही मानसिक विकृति का कोई गंभीर अपराध है, बल्कि यह दोनों पक्षों के बीच निजी विवाद से संबंधित है।

7. अपराधी और पीड़ित के बीच पूर्ण समझौता होने के कारण, याचिकाकर्ता की दोषसिद्धि की संभावना बहुत कम है और आपराधिक मामले को जारी रखने से याचिकाकर्ता को बहुत अधिक उत्पीड़न और पूर्वाग्रह का सामना करना पड़ेगा और पीड़ित के साथ पूर्ण समझौता होने के बावजूद आपराधिक मामले को रद्द न करने से उसके साथ अत्यधिक अन्याय होगा।

8. इसलिए, इस न्यायालय का विचार है कि यह एक उपयुक्त मामला है, जिसमें शिकायत मामला संख्या 8716/2022 में विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट-III, रांची द्वारा पारित दिनांक 26.04.2023 के आदेश सहित संपूर्ण आपराधिक अभियोजन, जो अब

विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट-III, रांची की अदालत में लंबित है, जैसा कि याचिकाकर्ता ने प्रार्थना की है, को रद्द कर दिया जाए और अलग रखा जाए।

9. तदनुसार, विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट-III, रांची द्वारा शिकायत वाद संख्या 8716/2022 में पारित दिनांक 26.04.2023 के आदेश सहित संपूर्ण आपराधिक अभियोजन, जो अब विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट-III, रांची की अदालत में लंबित है, याचिकाकर्ता के खिलाफ रद्द और अपास्त किया जाता है।

10. परिणामस्वरूप, यह सी.आर.एम.पी. स्वीकृत हो जाती है।

11. तत्काल सीआरएमपी के निपटान के मद्देनजर, आईए संख्या 10754/2023 को तदनुसार निपटाया जाता है।

(माननीय न्यायमूर्ति अनिल कुमार चौधरी)

झारखंड उच्च न्यायालय, रांची
दिनांक 21 दिसंबर, 2023
एएफआर/ अनिमेष

यह अनुवाद सुश्री लीना मुखर्जी, पैनल अनुवादक के द्वारा किया गया।